फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी
रामनिवास

बनाम

अप्रार्थीगण
जयराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 122 / 2014

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07.07.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल जमाबंदी ग्राम धारणा तहसील जायल सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी मुतदाविया खेत खसरा नं. 170, 171 ग्राम धारणा तहसील जायल की भूमि में खातेदार, रामनिवास के साथ सहखातेदार दर्ज है। जिसका अभी तक भौतिक विभाजन नहीं हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत यह स्पष्ट है कि जब तक विवादग्रस्त खेतायों का सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी से पृथक–पृथक हिस्सा घोषित होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक खसरान की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर सहखातेदार का हिस्सा व अधिकार निहित रहेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सहखातेदार रामनिवास के विरूद्ध रास्ता घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही गई, जबकि मुतदाविया खेतायों की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार दर्ज है तथा सहखाातेदार के विरूद्ध रास्ता दिया जाना न्यायालय मत में न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। सहखातेदार यदि सहमत है, तो तहसीलदार जायल से नियमानुसार बंटवारा कराते हुये तथा यदि असहमत है तो सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर बंटवारा कराकर पुनः न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसगत धाराओं के तहत रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना विधि विरूद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)	

Scanned with CamScanner